

अधीनस्थ

रिपोर्ट पटवारी जल्ला जमीनी

निवेदन है कि गांव जमीनी के खता सं. 333 में जमीन का नाम बालू पिता उदयलाल देवी देवी है, जबकि माफिया दावे में बालूलाल पिता उदा है। खता सं. 333 में बालू पिता उदयलाल देवी के नाम बालूलाल पिता उदा रने किया जाता उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा विजौलिया

महोदयजी

गुम जलिली के खता सं. 333 में बालू पुत्र उदयलाल के नाम बालूलाल पिता उदा किया जाता उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा विजौलिया

क्रमांक/बापस/21/16

दि 20/10/2021

महोदयजी,

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी जल्ला, नू. अ. वि. विजौलिया के नाम बालूलाल पुत्र उदयलाल के नाम बालूलाल पिता उदा रने किया जाता उचित है। खता सं. 333 में बालू पिता उदयलाल के नाम बालूलाल पिता उदा रने किया जाता उचित है।


आदेश

तहसीलदार

पटवारी प. ह. जल्ला, नू. अ. वि. विजौलिया के नाम बालूलाल पुत्र उदयलाल के नाम बालूलाल पिता उदा रने किया जाता उचित है। खता सं. 333 में बालू पिता उदयलाल के नाम बालूलाल पिता उदा रने किया जाता उचित है।

उपस्थिति अधिकारी कारी
प्रशासन गांवों संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
विजौलिया (भीलवाड़ा)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प... जलीन्दी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिर्सा जिला
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कार्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान 'जलीन्दी'

आदर :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जलीन्दी
बिर्सा जिला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिर्सा जिला की अनुशासा के आधार पर, राजस्थान
अक्टूबर 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जलीन्दी तहसील बिर्सा जिला में परतम
संवत् 2073-2076 में आम सख्खा 333 में परतम सख्खा 333
में उल्लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने के आदेश दिए जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि) जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जायेगी
1.	जलीन्दी	333	खाता सं. 333 में खातेदार का नाम बालू पिता उदय लाल है।	खाता सं. 333 में खातेदार का नाम बालू पिता उदयलाल के स्थान पर बालूलाल पिता उदय दर्ज किया जायेगा।



कमीड - 128/2021

सीमा लिंगाड़ी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बिर्सा जिला (बिर्सा जिला)

दिनांक :- 20/10/2021

प्रार्थी बिर्सा जिला को भेजकर स्पष्ट है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने
के लिए कृपया तत्काल रिपोर्ट भिजवायें।
प्रार्थी बालूलाल जलीन्दी (अकरपुरा) को सूचनाार्थ।

सीमा लिंगाड़ी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बिर्सा जिला